... ...
6-12-19 को पेश हो।

6/12/19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हो।
वास्ते ~~[illegible]~~ आदेश दि० 9-12-19 को पेश हो।

9/12/19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं।
पत्रावली का आद्योपान्त ध्यानपूर्वक गहन
मनन अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा
वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनु-
तोष, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब
मय काउंटर क्लेम के तथ्य, वांछित
अनुतोषादि, जवाब उल जवाब तथा
उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यादि
पर सम्यक विचार किया गया।
वादिया द्वारा ग्राम पीपाखेड़ी की
भूमि खसरा नम्बर 618, 707, 711, 714,
832, 873, किता 6 रकबा 2.83 हेक्टर
पर दायर नामान्तरकरण 526 दिनांक 5/07
व 530 दि० 21.5.07 को निरस्त करवा

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम....... रामगंजमण्डी, जिला कोटा

....

किस्म मुकदमा......................................नं...सन्.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ... में ...
	दावा कर उक्त कृषि के हिस्सा 1/2 में हिस्सा 1/3 की खातेदार घोषित किया चाहती है। अपने कथनों के समर्थन में वादिया द्वारा स्वयं का शपथ-पत्र, P.W-1, नकल जमाबंदी ग्राम ~~पीपाखेड़ी~~ निमाना सं. 2004-25 खाता नम्बर 155 प्रदर्श-1, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम पीपाखेड़ी प्रदर्श-2, विक्रयपत्र पु. सं. 1 जिल्द सं. 240, पृ० सं. 161 क्र. सं. 2008001449 दि० 3.11.08 उप. पंजीयक रा० मण्डी प्रदर्श-3 नकल रिलीज डीड दि. 12.7.12, पु. सं. 1 जि० सं. 105, पृ० सं. 190, क्र. सं. 373, उप. पंजीयक रा० मण्डी प्रदर्श-4, नकल नामा 530/21.5.07 ग्राम निमाना, प्रदर्श-6, नकल नामा 595/5.3.09 ग्राम निमाना, प्रदर्श-7, नकल नामा ग्राम निमाना 634 दि. 5.5.10 प्रदर्श-8 नकल फर्द मिलान प्रदर्श-5 पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, लिहाजा साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।	

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा वादपत्र एवं जवाब के तथ्यों को दोहराया। वकील वादी का कथन दर्ज है, कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम सूची के वारिसान की मौजूदगी में द्वितीय श्रेणी के वारिस आदि को संपत्ती नहीं दी जा सकती। वादिया के पुत्र जो अविवाहित तथा लाओलाद फौत हुआ है, उसके नाम पर दर्ज भूमि प्रति० 1 व 3 के नाम पर दर्ज कर दी गई जो विधि विरुद्ध है अतः नामा० जो उक्त क्रम में दर्ज किये गये है, को तुरन्त खारिज फरमाया जावे। बाद बहस पत्रावली का ध्यानपूर्वक पुनः अवलोकन किया गया। चूंकि तनकी नं. 6 विधिक है, परन्तु कतिपय तथ्यों का विनिश्चय प्रथमतः तनकी 1 व 2 पर निर्भर है, लिहाजा क्रमशः तनकीवार विवेचन सुविधा-युक्त पाया जाता है इस कारण तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है। **तनकी नम्बर 1:**— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर था। इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादिया द्वारा दर्ज वर्णित साक्ष्य प्रस्तुत किये है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म से
	वादिया का कथन है, कि उसका एक पुत्र नीलेश लाऔलाद फौत हो चुका है। इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। रस्व प्रदर्श-1 नीलेश के स्थान पर मेघा, आशा, उषा मीना का नाम वादियां के साथ दर्ज किया गया है तथा ललिता के स्थान पर उसके वारिसान का नाम दर्ज किया गया है।	
	चूंकि नीलेश का अविवाहित तथा बिला औलाद मरना स्वीकृत तथ्य है तो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों को ही मृतक के हिस्से की संपत्ति में हक प्राप्त होगा। चूंकि मृतक की माता (वादिनी) प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है, ऐसी सूरत में द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी जो कि प्रति० नम्बर 1 से 4 हैं, का जो नाम मृतक के स्थान पर दर्ज किया गया है, वह अनुचित है।	
	धारा 9 में अर्थात H.S. Act. 1956 section 9 में उत्तराधिकारियों का क्रम नियत किया गया है, जिसमें भी वादिया प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 में अधिमान रखती है अर्थात प्रतिवादी नं. 1 भाई है, तथा प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 मृतक की बहिनें हैं, इन्हें माँ के बराबर उत्तराधिकारी की ओ तरजीह दी गई है वह त्रुटिपूर्ण	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है।

वादगत भूमि में प्रति० नं० 1 हिस्सा 1/12, प्रतिवादी नं० 2 हि० 1/12, प्रति० नं० 3 हि० 1/12, प्रति० 4 हि० 1/12। मृतक नीलेश हि० 1/12 तथा वादियां हि० 1/12 में दर्ज रिकार्ड थी, जिसे वादिया व प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 का हिस्सा 1/10 - 1/10 में दर्ज कर दिया है। वादगत भूमि का हिस्सा 1/2 ललता पुत्री रिनकुंज के नाम पर था, जिसे ललता के बाद बकायदा उसके वारिसान के नाम पर दर्ज किया गया है, वह उचित है।

अतः प्रकरण में यह पाया जाता है, कि वादगत भूमि में वादिया स्वयं के हिस्सा 1/12 के अलावा नीलेश के बाद बतौर माता हि० 1/12 कुल 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारीणी है।

अतः यह तनकीह बहक वादिनी तय की जाती है।

<u>तनकीह नम्बर 2</u>:- इस तनकीह को सिद्ध करने का भार वादियां पर था। वादिया द्वारा प्रदर्श-1, प्रदर्श-6 सहित स्वयं का शपथ-पत्र पेश किया है।

प्रकरण में यह तथ्य सर्व से तय है कि वादगत भूमि के खातेदार नीलेश

[signature] …अधिकारी रामगं…

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	की वारिसा माता थी प्रतिo 1 से 4 मृतक नीलेश के भाई बहिन थे तथा मृतक नीलेश अविवाहित तथा लाऔलाद फौत हुआ था वादग्रस्त भूमि पर मृतक नीलेश के बाद जो नामान्तरण नम्बर 526 दिनांक 5.5.07 से मृतक का हिस्सा समभाग में वारिसा व प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 के नाम दर्ज किया है, वह धारा 40 राज० टीनेन्सी एक्ट 1955 तथा धारा 8 व धारा 9 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के विरुद्ध जारी व निर्मित किया गया था इसी प्रकार नामान्तरण नम्बर 530 दि० 21.5.07 के द्वारा भी प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 द्वारा महज प्रतिवादी नम्बर 1 को अपना स्वत्व दर्ज किया था जिसके परिणाम स्वरूप हि० 1/2 के स्थान पर हिस्सा 1/10 दर्ज किया था अर्थात प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 द्वारा प्रत्येक के हिस्सा 1/10-1/10-1/10 दर्ज किया है, जबकि प्रत्येक का हिस्सा 1/12-1/12-1/12 दर्ज करना था। वैसे भी सहखातेदार सिर्फ अपना ही स्वत्व छोड़ सकता है किसके व किसको यह प्रावधान नहीं है

यदि वसीयतनामे के आधार पर भी अंकन सही माने जावें, तो प्रतिवादी हि० 1/3 तथा वादिया हि० 1/6 बनता था किन्तु वादियां का हिस्सा 1/6 के स्थान पर कालान्तर में 1/10 अंकित कर दिया गया जो स्पष्टतया त्रुटिपूर्ण अंकन की श्रेणी में आता है।

वादियां नामा० नं. 526/5.5.07 तथा नामा० नं. 530/21.5.07 दोनों को निरस्त करवा कर अपना 1/6 हिस्सा दर्ज करवाने की हकदार पाई जाती है।

अतः यह तनकी बहक वादियां तय की जाती है। वादिया अपना हिस्सा विभाजन करवाने की हकदार है।

तनकी नं. 3:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादियां पर था। तनकी नं० 1 व 2 के विवेचनानुसार तथा अंतिम डिक्री के अध्यधीन यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

तनकी नं० 4:- इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। हालांकि प्रतिवादी नम्बर 5 द्वारा शपथ-पत्र तो पेश किया है, कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये, किन्तु प्रदर्श-3 व प्रदर्श-4 जो वादिया द्वारा प्रस्तुत किये हैं, उनमें

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रमाणित होता है, कि प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 द्वारा अपना हक प्रतिवादी नम्बर 1 को त्याग / तर्क कर दिया है।
	उक्त तर्क नामा० नं० 526 व 530 के द्वारा अंकन के अनुसरण में किये गये है, जो स्वत्व से अधिक तर्कनामा निष्पादित कर दिये गये है।
	नामान्तरकरण के द्वारा जो रिवायती स्वत्व अंकित किये गये, उनके द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा अपने स्वत्व से अधिक का बैनामा वीना कुमारी सोनी प0 सम्पतराज सोनी को किये गये है।
	प्रतिवादी 1 को वादग्रस्त भूमि में मात्र $\frac{1}{1}-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$ हिस्सा बैनाम करने का अधिकार था, परन्तु प्रतिवादी 1 द्वारा रिवायती अंकन का सहारा लेकर $\frac{5}{6}$ हिस्सा भूमि के स्थान पर 9/10 हिस्सा भूमि बैनाम कर दी है। स्वत्व विहीन अवस्था में किये गये बैनाम को स्वत्व विहीन अवस्था तक मान्य नहीं किया जा सकता। 1/6 हिस्सा वादिया का है, जिसे मात्र 1/10 दर्ज कर देने से वादिया का स्वत्व कम नहीं होता है।
	प्रकरण में प्रतिवादी 6 से 8 क्रेता वीना कुमारी सोनी के वारिसान है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होने से यह तथ्य मान्य किया जाता है। परन्तु वादग्रस्त भूमि में विक्रेता / प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 5/6 ही था, उसी हद तक क्रेता को

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
स्वत्व प्राप्त होगा। अतः यह वादबिन्दु इसी प्रकार तय की जाती है। **वादबिन्दु नं: 5:-** इस वादबिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रति: 5 से 8 पर था। प्रति० द्वारा शपथ पत्र ही पेश किया था। परन्तु वादिनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से प्रमाणित होता है, कि बीना कुमारी प्रति 6 से 8 की माता द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1 से हिस्सा 3/10 जबकि इस को भी प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा मात्र 5/6 ही था परन्तु उसके द्वारा स्वत्व से ज्यादा रकबे का बैनामा किया गया था। स्वत्व विहीन हिस्से की अवस्था तक उक्त बैनामा प्रारंभिक स्थिति से ही मान्य नहीं किया जा सकता। वादिया का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/10 दर्ज कर दिया है, जिसे वादिया दुरूस्त करवाने की हकदार थी। अतः यह वादबिन्दु खिलाफ प्रति० बहक वादिया तय की जाती है। **वादबिन्दु नं: 7:-** वादबिन्दु नम्बर 1 से 6 के विवेचन तथा विश्लेषण के आधार पर वाद वादिया अंशतः स्वीकार योग्य है। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। प्रकरण का ध्यानपूर्वक उपजिलाधिकारी रामनगर [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अवलोकन किया गया। दावा वादियां अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि वादियाँ को ग्राम निमाना की भूमि ख0 नं0 618, 707, 711, 714, 832, 873 किता 6 रकबा 2.83 हैक्टर में हि0 1/10 के स्थान पर 1/6 का खातेदार घोषित किया जाता है। रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। (चिमनलाल) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी R.A.S. निर्णय आज दिनांक 09.12.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया। (चिमनलाल) उपखण्ड अधिकारी R.A.S.

Yud II/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी ब मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंजमण्डी

ब इजलास— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

कमलाबाई —बनाम— महेश

दावा बाबत— 88-89 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. — 54 —सन्— 2012

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल करूबरू— चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

बहाजरी— श्री जगबीर सिंह एड. —मिनजानिब मुद्दई व— श्रीमती अंजली भार्गव एड.

—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादियाँ अंशत: स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि वादियाँ को ग्राम निमाना की भूमि ख० नं० 618, 707, 711, 714, 832, 873, किता 6 रकबा 2.83 है० मे हि० 1/10 के स्थान पर 1/6 का खातेदार घोषित किया जाता है। रिकार्ड मे अमल दरामद हो।

चीज— — —मुबलिग— — —बाबत— —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— — —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— — —को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 09 —माह— 12 —2019

को जारी की गई।

दस्तखत— [signature] 11/12/19

ओहदा— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ..			स्टाम्प वकालतनामा ..		
स्टाम्प वकालतनामा ..			स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प वजह सबूत ..			महनताना वकील पर ..		
महनताना वकील ..			खर्चा गवाहान ..		
खर्चा गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
फीस कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
बाबत इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
मुतफर्रिक ..					
			मीजान..		
मीजान..					

नोट:—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

[signature] 11/12/19

उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

रा.मु.जो.-40-2004-1,00,000 प्र.